राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.—38 / 2022

मोहर सिंह दत्तक पुत्र रामकरण उम्र 65 साल जाति मेघवाल निवासी ठिचोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....वादी

बनाम

1. ईश्वर सिंह पुत्र देवी सहाय
2. इन्द्रा देवी पुत्री देवी सहाय
3. भगोती देवी पत्नी देवी सहाय
4. महावीर सिंह पुत्र देवी सहाय
5. रेशमा देवी पुत्री देवी सहाय
6. राजकुमार पुत्र देवी सहाय
7. रोहिताश पुत्र देवी सहाय
8. शीशराम पुत्र देवी सहाय
9. सजना देवी पुत्री देवी सहाय
10. सरोज देवी पुत्री देवी सहाय
11. ख्यालीराम पुत्र घड़सीराम
12. चान्दा देवी पत्नी घड़सीराम
13. भाताराम पुत्र घड़सीराम
14. धर्मपाल पुत्र मामन
15. रामेश्वर पुत्र रूड़ा समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ठिचोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
16. शाखा प्रबंधक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा खेतड़ी
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....प्रतिववादीगण

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.))

दावा — खाता विभाजन, घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

—::निर्णय::—

दिनांक :— 06.02.2023

(1) वादी की ओर से वाद [illegible] पेश है

1. यह कि वाके ग्राम ठिचोली तहसील बुहा[illegible] जि[illegible] झुंझुनूं राज0 मे स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2027 से 2030 तथा जमाबन्[illegible] 2031 से 2034 के गत ख0 न0 301 रकबा 13 बीघा 11 [illegible] के [illegible] रूड़ा, मामन, रामकरण, घड़सी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पुत्रान चन्दरिया दर्ज राजस्व रिकार्ड थे जो वादी व प्रतिवादीगण स0 11 ल0 15 के हकपूर्वाधिकारी थे।

2. यह कि वाके ग्राम ठिचोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि के गत ख0 न0 301 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा के नये ख0 न0 270 रकबा 0.81है0 ख0 न0 496 रकबा 0.90है0 ख0 न0 497 रकबा 1.05है0 ख0 न0 498 रकबा 0.35है0 ख0 न0 499 रकबा 0.33है0 बने है उक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बरों के नये खसरा नम्बर जो कि हाल खसरा नम्बर बने है जिसमें गत ख0 न0 270 रकबा 0.81है0 के नये ख0 न0 142 रकबा 0.81है0 बने है तथा गत ख0 न0 496 रकबा 0.90है0 के नये ख0 न0 367 रकबा 0.90है0 बने है गत ख0 न0 497 रकबा 1.05है0 के नये ख0 न0 368 रकबा 1.05है0 बने है गत ख0 न0 498 के नये ख0 न0 369 रकबा 0.35है0 बने है गत ख0 न0 499 के हाल ख0 न0 37 बने है।

3. यह कि रामकरण पुत्र चन्दरिया उर्फ चन्द्रा अविवाहित नाऔलाद था जिसके कोई संतान नहीं थी सलिए वृद्धावस्था में उसकी देखभाल करने तथा कास्त की भूमि की देखभाल करने तथा उसकी मृत्यु उपरान्त उनके पिण्डदान आदि सामाजिक कार्य करने के लिए दिनांक 19.12.2001 को वादी मोहर सिंह को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया जाकर दत्तक पुत्र होना स्वीकार कर पंजियन करवाया गया था तभी से वादी अपने दत्तक पिता का विधिक वारिस/उत्तराधिकारी चला आ रहा है तथा वादी अपने दत्तक पिता की चल अचल सम्पति पर बतौर पुत्र विधिक वारिस काबिज कास्त चला आ रहा है वादी व प्रतिवादीगण ने विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उक्त बाहमी बंटवारे व हिस्से अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त है।

4. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि के जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 31 के ख0 न0 367 रकबा 0.90है0 ख0 न0 368 रकबा 1.05है0 ख0 न0 369 रकबा 0.35है0 ख0 न0 370 रकबा 0.33है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.63है0 में वादी के दत्तक पिता रामकरण पुत्र चन्द्रा का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी के दत्तक पिता श्री रामकरण पुत्र चन्द्रा का सवर्गवास दिनांक 14.05.2005 को हो चुका है वादी के दत्तक पिता रामकरण के कोई जायन्दा संतान नहीं थी रामकरण पुत्र चन्द्रा के एक मात्र विधिक वारिस/उत्तराधिकारी वादी मोहर सिंह ही है रामकरण पुत्र चन्द्रा के दर्ज राजस्व रिकार्ड की कृषि भूमि का विधिक वारिस/उत्तराधिकारी एं मात्र वादी होने के कारण रामकरण पुत्र चन्द्रा का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना आवश्यक है।

5. यह कि वाके ग्राम ठिचोली तहसील बुहाना की हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 30 के ख0 न0 142 रकबा 0.81है0 जिनके गत ख0 न0 270 थे जिसमें वादी का दत्तक पिता 1/4 हिस्सेदार खातेदार कास्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड था जिसका नाम राजस्व कर्मचारी की गलती से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया तथा राजस्व रिकार्ड में वादी के दत्तक पिता रामकरण पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/4 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड होना चाहिए था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

6. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का कदीमी बाहमी बंटवारा कर रखा है खातेदार दड़का देवी पत्नी मामन का देहान्त हो चुका है उसके हिस्से की कृषि भूमि पर उसके विधिक वारिस प्रति0 स0 14 काबिज कास्त है।
7. यह कि वादी द्वारा गत 15 रोज राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब वादी को पता चला की राजस्व रिकार्ड में वादी के दत्तक पिता रामकरण पुत्र चन्द्रा जिनका देहान्त दिनांक 14.05.2005 को हो चुका है के स्थान पर विरास्तन इन्तकाल वादी के नाम पर नहीं किया गया है तथाा राजस्व रिकार्ड ख0 न0 1472 रकबा 0.81है0 में वादी के दत्तक पिता रामकरण पुत्र चन्द्रा का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं किया गया है राजस्व रिकार्ड का दुरूस्त किया जाने बाबत वादी ने राजस्व कर्मचारियों को कहा तो राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में वादी के दत्तक पिता रामकरण के हिस्से की भूमि का खातेदार कास्तकार वादी को घोषित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने से इंकार कर दिया तब वाद कारण पैदा हुआ। इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ जो सावधि सेवामें पेश है।
8. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम ठिचौली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए दावा सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय हाजा को ही है।
9. यह कि वाद पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क पर पेश है।
10. यह कि वादी का शपथ पत्र संलग्न वाद पत्र है।

अतः वादी की ओर से वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–

(क) कि वाद वादील विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वाके ग्राम ठिचोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि के खाता स0 31 के ख0 न0 367 रकबा 0.90है0 ख0 न0 368 रकबा 1.05है0 ख0 न0 369 रकबा 0.35है0 ख0 न0 370 रकबा 0.33है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.63है0 में खातेदार रामकरण पुत्र चन्द्रा के विधिक वारिस वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे की वाके ग्राम ठिचौली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित खाता स0 30 के ख0 न0 142 रकबा 0.81है0 में वादी के पिता रामकरण का हिस्सा 1/4 भाग का खातेदार कास्तकार वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

(ग) कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे की वाके ग्राम ठिचोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि के खाता सं. स0 31 के ख0 न0 367 रकबा 0.90है0 [illegible] 368 रकबा 1.05है0 ख0 न0 369 रकबा 0.35है0 ख0 न0 3[illegible] 4 कुल रकबा 2.63है0 में वादी का 1/4 हिस्सा का कदीमी बाहमी बं[illegible]र व हिस्से अनुसार खाता विभाजन कर अलहेदार खाता व लगान कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादी द्वारा अपना खाता विभाजन का अनुतोष को विड्रा किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075—2078 खाता सं. 31, 30 ग्राम ठिचौली में वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम ठिचोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि के खाता स0 31 के खसरा नम्बर 367 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 368 रकबा 1.05है0, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.33 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.63 है0 में खातेदार रामकरण पुत्र चन्द्रा के स्थान पर वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। (2) खाता स0 30 के खसरा नम्बर 142 रकबा 0.81है0 में वादी के पिता रामकरण का हिस्सा 1/4 भाग का खातेदार कास्तकार वादी को घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हक में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 6/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:– 38/2020 **जीसीएमएस वाद संख्या : 2020/00217**

निर्णय दिनांक:– 06.02.2023

मोहरसिंह **बनाम** ईश्वरसिंह आदि

<u>दावा खाता विभाजन, धोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती</u>

वादी की ओर से **श्री अशोक कुमार यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **06.02.2023** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि –

"न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम ठिचोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि के खाता स0 31 के खसरा नम्बर 367 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 368 रकबा 1.05है0, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.33 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.63 है0 में खातेदार रामकरण पुत्र चन्द्रा के स्थान पर वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाने का अदेश दिया जाता है। (2) खाता स0 30 के खसरा नम्बर 142 रकबा 0.81है0 में वादी के पिता रामकरण का हिस्सा 1/4 भाग का खातेदार कास्तकार वादी को घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। (3) रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हक में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **06.02.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested